ISSN 2230-7850 Impact Factor : 3.1560 (UIF) Volume - 5 | Issue - 11 | Dec - 2015

Indian Streams Research Journal

भारत में लघुवित्त की स्थिति

वसंत कुमार मंडल
बी. कॉम., एम. कॉम.
शोध छात्र (वाणिज्य), मु0–उर्दूबाजार, पो0 – लालबाग, थाना –लहेरियासराय, जिला –दरभंगा

प्रस्तावना :-

एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) लघुवित्त के क्षेत्र में सहयोग के लिये पिछले कई वर्षों से सक्रिय है। 31 मई, 2007 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक का कुल लघुवित्त पोर्टफोलियो 2,091,27 लाख डॉलर था। इसमें 46.41 लाख डॉलर की धनराशि एडीबी के फंड की रियायती खिड़की के तहत आती है और 1,617.88 लाख डॉलर की राशि वाणिज्यिक खिड़की के तहत आती है।

एशियाई विकास बैंक ने 1988 से 1999 तक कुल 260.10 लाख डॉलर के 14 लघुवित्त प्रोजेक्ट, 106.79 लाख डॉलर के 13 लघुवित्त कंपोनेंट आधारित प्रोजेक्ट और लगभग 24.42 लाख के 45 टेक्निकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं। उद्योग के बदलते क्षेत्र के साथ एडीबी ने 1999 में लघुवित्त विकास रणनीति को सूत्रबद्ध किया जिसका उद्देश्य सहस्राब्दी लक्ष्य को प्राप्त करना था। एडीबी ने 2000 से 2004 के बीच 350. 80 लाख डॉलर के 10 लघुवित्त लोन प्रोजेक्ट और 131.02 लाख डॉलर के 16 लघुवित्त सहयोगी प्रोजेक्ट मंजूर किए। इसके अतिरिक्त एडीबी 7 सरकारों को माइक्रोफाइनेंस प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। 12 देशों में विविध स्तरों पर 21 सलाहकार तकनीकी सहयोग प्रोजेक्ट को सहायता देती है। 31 मई, 2007 को एशियन विकास बैंक द्वारा प्रचलित ऋण पोर्टफोलियो की स्थिति को तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका : एडीबी के प्रचलित ऋण पोर्टफोलियो

बांग्लादेश	56.56	2.7
कंबोडिया	3.56	0.2
भारत	1000.00	48.1
इंडोनेशिया	31.00	1.5
लायो पीडीआर	19.20	0.9
मंगोलिया	8.70	0.4
नेपाल	87.64	4.2
पाकिस्तान	477.18	22.9
पापुआ न्यू गिनी	9.60	0.5
फिलीपींस	207.88	10.0
श्रीलंका	70.00	3.4

ताजिकिस्तान	4.00	0.2
उज्बेकिस्तान	20.00	1.00
वियतनाम	84.97	4.1
कुल लघुवित्त पोर्टफोलियो	**2080.29**	**100.00**

कल्सलटेटिव ग्रुप टू एसिस्ट द पुअर (सीजीएपी) 27 बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों तथा 2 निजी विकास एजेंसियों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर विकासशील देशों के गरीबों हेतु वित्तीय व्यवस्था निर्मित करने के लिये कार्य कर रहा है। सीजीएपी पब्लिक और प्राइवेट डेवलपमेंट एजेंसियां, वित्तीय सेवा प्रदाता को ट्रेनिंग और ज्ञान उपलब्ध कराता है।[1]

पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय बैंक भी लघुवित्त के दीर्घकालिक स्थायी विकास के लिये अग्रगण्य भूमिका में उतर आए हैं। 1999 में 12 केंद्रीय बैंकों ने एडीबी के साथ मिलकर लघुवित्त के विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका का चयन किया और लघुवित्त से जुड़े कार्यकलापों पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने लघुवित्त के लिये वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण भूमिका की शुरूआत की।

इस नयी भूमिका ने वित्तीय सेक्टर में लघुवित्त की स्थिति को ऊपर उठाया और निजी सेक्टर की भागीदारी के लिये स्थान प्रदान कर लघुवित्त को वृहत वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने का कार्य किया। नियंत्रक और विधिक (रेग्यूलेटरी एंड लीगल) फ्रेमवर्क का विकास कर स्थायी लघुवित्त की स्थापना अब इस क्षेत्र की अधिकांश केंद्रीय बैंकों का उद्देश्य बन गया है।

कंबोडिया ने हाल ही में विनियमन (रेग्यूलेशन) के माध्यम से गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की तरह कार्य करने का लाइसेंस प्रदान किया है। नेपाल ने भी इसी प्रकार के मार्ग का चयन किया और एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर निजी क्षेत्र को लघुवित्त में प्रवेश दिया। किरगिज गणतंत्र ने माइक्रोफाइनेंस संगठनों के लिये कानून बनाकर यह उत्तरदायित्व सौंपा है जिसे नेशनल बैंक ऑफ किरगिज रिपब्लिक को विनियमित और पर्यवेक्षण का अधिकार है। ताजिकिस्तान ने लघुवित्त संस्थाओं पर एक कानून बनाया है जो विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाताओं की रेग्यूलेट करेगा और उद्योग के विकास को बढ़ाने में सहयोग देगा। श्रीलंका ने ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र विकास अधिनियम निर्मित कर ग्रामीण वित्तीय और लघु संस्थाओं (माइक्रोफाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन) को विधिक, रेग्यूलेटरी और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क प्रदान करने का प्रयास किया है। फिलीपींस के सेंट्रल बैंक ने तो सन् 2000 में गरीबी को कम करने और लघुवित्त संबंधी वातावरण तैयार करने के लिये निर्देश जारी कर लघुवित्त को फ्लैगशिप कार्यक्रम की तरह अपनाने की घोषणा की है।[2]

भारत में लघुवित्त की स्थिति :

भारत ने गरीबी निवारण संबंधी कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया था, लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई है उसमें विरोधाभास है। जैसे–नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 61वें दौर के आंकड़े बताते हैं कि भारत में गरीबी अब 22.15 प्रतिशत रह गई है जबकि योजना आयोग के मुताबिक 26 प्रतिशत । लेकिन जीवन जागलर ने सितंबर 2006 में भारत के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत के 30 प्रतिशत गरीब परिवार 2,100 कैलोरी ऊर्जा के मानक की बजाय 1,700 कैलोरी पर ही गुजर–बसर कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की चिंता केवल आर्थिक विकास की नहीं होनी चाहिए। बल्कि न्यायोचित विकास की होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में अपने चरणबद्ध आर्थिक विकास के क्रम में तीसरे चरण में न्यायोचित विकास को अपना लिया था जिसका मतलब था प्रत्येक व्यक्ति के लिये आधारभूत एवं मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करना (जबकि प्रथम चरण में सबसे बड़ी चिंता आर्थिक विकास को तेज करने की थी और दूसरे चरण में आय के वितरण की चिंता समाहित थी यानी आर्थिक वृद्धि से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था के स्वरुप में परिवर्तन सुनिश्चित करना)।

तालिका : स्वयंसहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रमों की प्रगति

वर्ष	लघुवित्त से जुड़े स्वयंसहायता समूहों की संख्या	बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)
1998–99	33,995	57.07
1999–2000	1,14,775	192.98
2000–01	2,63,825	480.87
2001–02	4,61,478	1026.34
2002–03	7,17,360	2048.67
2003–04	9,42,000	3240.38
2004–05	16,18,476	6898.00
2005–06	22,00,000	11398.00
2006–07	25,50,000	14320.00

1990 के दशक में विकास संबंधी अवधारणा में अत्यंत महत्वपूर्ण आए। यद्यपि लघुवित्त हमारे देश में वर्ष 1992 से ही नाबार्ड द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम के रुप में चलाया जा रहा है तथा भारतीय रिजर्व बैंक समय–समय पर अनुदेश जारी कर के बैंकों को इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिये प्रेरित करता है। वर्ष 2004–05 में लघुवित्त कार्यक्रम को गति देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय भी किए :

- लघुवित्त गतिविधियों में संलग्न गैरसरकारी संगठनों को संसाधन जुटाने के अतिरिक्त माध्यम के रुप में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, अनुमत अंतिम उपयोग के लिये वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख अमरीकी डॉलर तक का बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकने की अनुमति ।
- लघुवित्त संस्थाओं की और अधिक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार ने लघुवित्त विकास कोष की 100 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया और उस फंड का नाम बदलकर 'लघुवित्त डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड' कर दिया जिसका प्रबंधन नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंकों तथा लघुवित्त प्रणाली का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले कुछ अन्य प्रतिनिधियों को दिया गया।

तालिका : लघुवित्त कार्यक्रमों के तहत प्रगति

संस्थाएँ	संबद्ध लोगों की संचयी एसएचजी संख्या (लाख में)	ऋण व्यय (करोड़ रुपये में)
नाबार्ड	1,649.00	11,397.00
एसएफएमसी	26.25	761.81
आरएमके	5.48	147.53
एफडब्ल्यू	5.29	240.10
कुल	**1,666.02**	**12,546.44**

स्रोत : नाबार्ड, सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो–क्रेडिट (एसएफएमसी), राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) तथा फ्रेंड्स ऑफ बोमेन्स बैंकिंग (एफडब्ल्यूडब्ल्यूबी) वर्ष–2009.

इन प्रयासों के चलते आज इस बात के बहुत से साक्ष्य हैं जो यह बताते हैं कि लघुवित्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा न्यायसंगत और उत्तरोत्तर विकास का मार्ग सुनिश्चित किया जा सकता है। रिजर्व बैंक लगातार इस प्रयास में है कि वित्तीय परिधि के बाहर रह गए अधिकाधिक लोगों को फाइनेंसियल इंक्ल्यूजन के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाया जाना चाहिए। नाबार्ड एवं अन्य बैंकों ने मार्च 2007 के अंत तक 5.85 लाख स्वसहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में लघुवित्त प्रगति को तालिका–2 और तालिका–3 में देखा जा सकता है।

इस प्रकार से भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में लघुवित्त द्वारा गरीबी को कम करने और गरीबों को वित्तीय दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अहम प्रशन यह है कि क्या वास्तव में लघुवित्त या लघुऋण द्वारा गरीबी को पूर्णतः दूर किया जा सकता है ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश के जन्मदाता प्रोफेसर युनुस का कहना है कि लघुवित्त से गरीबी दूर की जा सकती है। उनका कहना है कि वे 2030 तक गरीबी को एक म्यूजियम में कैद कर देंगे। लेकिन भारत के लघुऋण प्रदाता और बेसिक्स के संस्थापक विजय महाजन का कहना है कि गरीबी समाप्त करने में लघुवित्त की भूमिका बहुत सीमित है।

विजय महाजन का अनुमान है कि देश के प्रत्येक परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने के लिये अधिसंरचनात्मक और अन्य वित्तीय संस्थाओं व तकनीकी सहायता संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रति परिवार 1,00,000 रुपये का निवेश करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 40 लाख गरीब परिवारों के लिये 4,00,000 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा जो भारत के सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) से थोडा ही कम है। एक और बात है कि लघुवित्त संस्थाओं ने यह भ्रम फैला रखा है कि गरीब व्यक्ति अपना ऋण चुकाने में अधिक ईमानदार है क्योंकि वे कारोबार भी अवसरों से अच्छा लाभ अर्जित कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि वे सीमित सानों और इन्हीं पर अपनी निर्भरता के कारण ऐसा करने पर विवश होते हैं। लेकिन ग्यात अर्थशास्त्री पिस्के का कहना है हमें माइक्रोक्रकेडिट को लघुऋण कहना चाहिए। माइक्रोडेट गरीबों के लिये पैसे का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर निर्मित कर सकता है ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें और अपनी सुरक्षा कम कर सकें। लेकिन हर लघऋण केवल अनुकूल परिणाम नहीं देता।[3]

वाल स्ट्रीट जनरल ने अपने एक लेख में ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश के पुनर्भुगतान दर, ऋण उगाही के तरीके और एकाउंटिंग प्रैक्टिस को लेकर कई प्रश्न उठाए। बड़े पैमाने पर यह तर्क दिया जा रहा है कि यदि लघुवित्त गरीबी–निरोधक कार्यक्रम में सफल है, तो फिर सरकार की कल्याणकारी नीतियों में संकुचन हो जाना चाहिए। अधिकांश शोधों में इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि ग्राहकों (ऋणग्राहियों) से लघुऋण लेने वाली संस्थाएं सामान्यतः 2.5 से 4 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज दर (31 प्रतिशत से 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष) वसूल करती हैं, जो एक गरीब व्यक्ति के लिये अति उत्पीड़क है।

लघुवित्त संस्थाएं यह तर्क देती हैं कि ब्याज दरें ऊंची नहीं हैं क्योंकि महाजनों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें बहुत ऊंची यानी 5 से 10 प्रतिशत प्रतिमाह (60 से 120 प्रतिशत प्रतिवर्ष) होती हैं। लेकिन उनका यह तर्क सर्वथा अनचित है क्योंकि बड़े–बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों को जहां 10 से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ऋण महैया हो रहे हों वहां गरीब का 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर ऋण मुहैया कराकर गरीबी निवारण का डंका पीटना निहायत अतार्किक है।[4]

भारत और चीन के बीच विश्वभर में संसाधनो के लिये प्रतिस्पर्धा चल रही है। ऐसे में इन दो उभरती हुई विशाल अर्थव्यवस्थाओं क नाजुक अंगों पर नजर डालना जरूरी है। एशियाई विकास बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2003 में चीन करीब 17.30 करोड़ लोगों की आय 1 डॉलर प्रतिदिन से भी कम थी, जबकि 53.60 करोड लोगों की आय प्रतिदिन 2 डॉलर से भी कम थी। भारत में 2003 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) के आंकड़ों के अनुसार करीब 35 प्रतिशत लोग (35 करोड लोग) प्रतिदिन एक डॉलर से भी कम की आय पर जीवनयापन कर रहे थे। दोनों देशों के ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं। आर्थिक विकास के साथ–साथ ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास में आंचलिक और क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही हैं और भूमि की बरबादी, मृदाक्षरण और पेयजल स्रोतों का पटषण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के साथ–साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धनता भी निरंतर बनी हुई है। दोनों ही देशों में शहरी और ग्रामीण आमदनियों में भी काफी विषमताएं हैं। दोनों देशों की सरकारें इस अंतर को कम करने के बारे में चिंतित हैं।

पिछले दो दशकों में चीन में गरीबी कम करने में कृषि के साथ–साथ गैर कृषि ग्रामीण गतिविधियों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। अत्यधिक श्रमोन्मुखी लघु और कुटीर उद्योग में ग्रामीण क्षेत्रों के 5 करोड़ घरों के 8 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। तुलनात्मक दृष्टि से, भारत में करीब 30 करोड़ श्रमिक अनौपचारिक (गैर संस्थागत) क्षेत्र में लगे बताए जाते हैं। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने और गैरकृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये दोनों देशों ने ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के महत्व पर जोर दिया है। इसे गरीबी मिटाने की प्रक्रिया के एक भाग के रुप में रेखांकित किया गया है।

चीन और भारत की ग्रामीण वित्तीय प्रणालियों में उल्लेखनीय समानताएं है परंतु अंतर भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। चीनी अर्थशास्त्री और प्रशासक अपनी ग्रामीण वित्तीय प्रणाली का वर्गीकरण पांच प्रकार के साधनों में

करते हैं– 'नीति' वित्तीय संस्थाएँ, वाणिज्यिक बैंक, विशिष्ट बाजारगत (व्यावसायिक) वित्तीय सस्थाए। सहकारिताएं और अनौपचारिक क्षेत्र।

यह देखते हुए कि चीन को निर्धनता के अनुपात से लेकर अधोसंरचना तक, आर्थिक पसे हर क्षेत्र में आमतौर पर भारत से आगे माना जाता है, यह जानना वास्तव में आश्चर्यजनक होगा कि ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के संगठन के मामले में भारत चीन से कहीं आगे हैं।

चीन में जनसंख्या के सभी वर्गों को सीधे और कम कीमत पर सेवाए प्रदान करने वाली नीतियों को मूर्त रुप देने में कृषि विकास बैंक और कृषि बीमा कंपनियां सबसे अग्रणी हैं। इन्हें ही 'नीति' वित्तीय संस्थाएं कह कर पुकारा जाता है। यह चीन का अपना विशिष्ट तरीका है। भारत में, नीति वित्तीय संस्था की तरह का संगठन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) है। हालांकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के जरिये काम करने वाला एक प्रकार का केंद्रीय बैंक हैं। और, अब हमारे यहां अपनी कृषि कंपनियां भी हैं।

आमतौर पर जैसा भारत में होता है, ग्रामीण चीन में वाणिज्यिक बैंकों का प्रचालन सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन ही होता है। परंतु चीन के विपरीत भारत के बैंकों की अपनी सुव्यवस्थित संपत्ति प्रणाली भी है, जिसके कारण गिरवी अथवा अतिरिक्त जमानत देकर कर्ज दिया जा सकता है। हमारी कानूनी प्रणाली में खामियों और विलंब के बावजूद ऋण प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 1994 से चीन के वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों से काम समेट लिया है, जबकि भारत में इसे युक्तिसंगत बनाकर और सुधार दिया गया है। गांवों से इसे हटाया नहीं गया है।

अगले दो साधनों विशिष्ट बाजारगत वित्तीय संस्थाओं और सहकारिता में दोनों क्षेत्रों की ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। चीन की विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं, इसके शहरी और ग्रामीण बैंकों, लघुऋण कंपनियों और गरसरकारी संगठनों की लघुवित्त संस्थाओं का गठन या तो हाल ही में हुआ है या फिर वे अभी गठन की प्रक्रिया में ही हैं। शहरी और ग्रामीण विकास बैंकों के लिये ऋणों पर ब्याजदर 2.3 गुने से अधिक नहीं हो सकती। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की इस सबसे आकर्षक दर पर सीमित ब्याज का अर्थ है कि वैधानिक रुप से मान्य दर 11.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यह एक ऐसी दर है जिससे ये संस्थाएं जन्म लेते ही पंगु हो जाएंगी। खासकर इसलिये कि एक ही शहर तक इनका कामकाज सीमित रहने के कारण इनका बाजार 3,00,000 की जनसंख्या (लगभग 85, 000 परिवार) से अधिक का हो ही नहीं सकता। इसके अलावा इनमें वाणिज्यिक बैंक और सहकारी संस्थाओं जैसी अन्य संस्थाएं भी होती हैं जो उसी क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।

इसके विपरीत, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विशाल नेटवर्क है जो दशकों से इस प्रकार के क्षेत्रों में कार्यरत है। इस समय देशभर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की करीब 14,000 शाखाएं हैं जो अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की करीब 30,000 ग्रामीण शाखाओं के साथ–साथ काम कर रही हैं। इसी के साथ–साथ गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियां और स्वयंसेवी संगठन की लघुवित्त संस्थाएं भी हाल के वर्षों में, ग्रामीण वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं। लघुवित्त एजेंसी एमसीआरआईएल द्वारा संकलित सूचना के अनुसार देश की प्रमुख 58 लघुवित्त संस्थाएं, 15 गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियां, 6 लाभ न कमाने वाली कंपनियां और 37 स्वयंसेवी संगठन इस समय 56 लाख लोगों को लघुवित्त सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इनमें से प्रमुख 10 संस्थाएं अकेले ही 35 लाख लोगों को सेवायें दे रही हैं। इसके अलावा बैंकों से जुड़े करीब 20 लाख स्वसहायता समूह भी करीब 2 करोड़ 50 लाख लोगों की लघुवित्तीय आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं।

इसी प्रकार चीन की 32,000 ग्रामीण ऋण (साख) सहकारिताएं और 2,500 शहरी और उच्चतर स्तर के संघों की अधीन शाखाएं, भारत की 370 जिला और राज्य सहकारी बैंकों की 20 हजार से भी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शाखाओं के आगे कहीं नहीं ठहरतीं। इसके अलावा, चीन में सुधार प्रक्रिया की चर्चा के गहराने से सहकारिता गाली गांवों से तेजी से हटकर शहरों की ओर जा रही हैं। वे अब बड़े–बड़े ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान देने लगी हैं और औसत ग्रामीणों के हितों की अनदेखी कर रही हैं।

भारत की सहकारिता प्रणाली भी चीन की तरह ही सरकारी नियंत्रण की बराइयों, अक्षम प्रशासन और सब्सिडी व्यवस्था का प्रमुख निर्गम स्रोत बनी हुई हैं। और यहीं पर दोनों की लघुवित्त संस्थाओं के बीच का अंतर समाप्त होता है। यह सर्वविदित है कि इसने दोनों प्रणालियों क निर्धन ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रभावोत्पादकता को पंगु बना दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण संस्कृति दूषित हो गई है। इसमें उन केवल इतना ही है कि भारत के अनेक राज्यों में नये सहकारिता कानून बने हुए हैं जो स्वतंत्र और सरकारी नियंत्रण से मुक्त सदस्यों के स्वामित्व वाली संस्थाओं के गठन को समर्थ बनाते हैं। दुर्भाग्य से आंध्र प्रदेश के

अलावा इन कानूनों का प्रभाव कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश में भी इन सहकारिताओं की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाने के प्रयास होते रहे हैं।

चीन में ऐसे अनेक लोग हैं जो टीवीबी (शहरी और ग्रामीण बैंक) प्रणाली को सहकारिताओं के भविष्य के लिये खतरा मानते हैं। उनका तर्क है कि कम पूंजी से कारोबार शुरू करने वाली इस प्रणाली से सहकारी प्रणाली के लिये स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। सहकारी तंत्र वैसे ही राजनीतिक हस्तक्षेप और रूढ़िवादी प्रचालन प्रणालियों से ग्रस्त हैं। परंतु ये सब मुद्दे और चिंताएं भविष्य का विषय हैं क्योंकि टीवीबीज ने तो अभी तक ढंग से काम ही नहीं शुरू किया है।

पांचवां साधन अनौपचारिक क्षेत्र चीन में भी उसी प्रकार विद्यमान है जैसा कि भारत में। साहकारों के साथ–साथ अनौपचारिक संयुक्त बचत और ऋण व्यवस्थाएं (चिट फंड कंपनियाँ) भी खूब फल–फूल रही हैं। विश्व में अन्य भी इनका यही हाल है।

भारी नियंत्रण और कानून से बेफिक्र होती हैं ये संस्थाएँ :

चीनी ग्रामीण वित्त प्रणाली, फिलहाल अप्रभावी हैं। ग्रामीण वित्त में लगी संस्थाएं शहरी और ग्रामीण बैंक और लघुवित्त कंपनियां या तो नये प्रकार का शाएं हैं, या फिर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्याज दर सीमित रहने के कारण वे ढंग से ज्यादा लोगों को वित्तीय सेवाएं नहीं प्रदान कर पातीं। इस तरह के प्रतिबंध औपचारिक अथवा अनौपचारिक अन्य देशों और क्षेत्रों में भी विभिन्न रूपों में आजमाए गए हैं। इन देशों में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और वियतनाम शामिल हैं। बांग्लादेश में ब्याज दर की ऊपरी सीमा पर लगे प्रतिबंध ने देश की प्रभावशाली थोक ऋण प्रदान करने वाले कोषदृपल्ली कर्मा सहायक फाउंडेशन (पीकेएसएफ) द्वारा ऋण दर पर लगाए प्रतिबंध का रुप ले लिया है, जो दिए गए ऋण पर 12.5 प्रतिशत (एक समान दर के आधार पर) से अधिक नहीं हो सकता। भारत में यह सीमा बैंकों पर लगे उस प्रतिबंध के रुप में है जो छोटे–छोटे ऋणों पर बैंक की आधारभूत ब्याज दर से अधिक पर ब्याज वसूलने की अनुमति नहीं देता। इससे प्रभावी ब्याज दर सीमा वर्तमान में 12.5 प्रतिशत से 13 प्रतिशत से (घटते बैंलेंस पर) आगे नहीं जा पाती। वियतनाम और थाईलैंड में, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी युक्त ऋणों की भरमार होती है, जिससे स्थायी वित्तीय सेवाओं की प्रभावी मांग ज्यादा नहीं होती। थाईलैंड में ग्रामीण ऋणों पर लिये जाने वाला ब्याज दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

ब्याज दरों पर रोक इसलिये लगाई जाती है क्योंकि उसके पैरोकार राजनेता और प्रशासक आबादी के सबसे गरीब वर्ग की मदद करना चाहते हैं, परंतु इस तरह के प्रतिबंधों से बाजार में विकृति के अलावा कुछ नहीं हासिल होता। इससे वित्तीय पा प्रदाता कंपनियां अधिकांश मामलों में अपनी लागत भी नहीं निकाल पातीं, जिसका नतीजा यह होता है कि छोटी वित्त कंपनियां ऋण देने में कंजूसी बरतने लगती हैं। ऋण लेने वालों के लिये यह एक नकारात्मक संदेश देता है। ऐसा आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों के साथ होता है जिनको प्रत्यक्ष ऋणों की आवश्यकताओं को देखते हुए कम लागत पर ही कर्ज दन के लिये बाध्य होना पड़ता है। ब्याजदरों पर प्रतिबंध के कारण छोटी–छोटी ग्रामीण वित्त संस्थाएं निम्नांकित जैसे अपेक्षाकृत आसान बाजारों की ओर रुख कर लेती हैं :

- शहरी क्षेत्र,
- सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र और अधिक आसानी से पहुंचने योग्य क्षेत्र।

इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जो लोग प्रमुख शहरी क्षेत्रों से दूर रहते हैं अथवा वे लोग जो उत्तरी और पश्चिमी चीन जैसे दूरदराज बसे गांवों में रहते हैं, वे इनका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। इसका दूसरा दुष्परिणाम यह है कि प्रतिबंधों के कारण संस्थाएं अपनी लागत घटाने की नीयत से बड़े–बड़े ग्राहकों को बड़े–बड़े कर्ज देना पसंद करती हैं और कम आय वाले उन कठिन ग्राहकों से बचने की जुगत में रहती हैं, जिनको दरअसल छोटे–छोटे ऋणों को आवश्यकता होती है। लागत खर्च निकालने के लिये छोटे ग्राहकों से दूर भागने की कोशिश का ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आकलन भारत की लघु वित्तीय संस्थाओं के अनुभव से किया जा सकता है।

भारत में लघु वित्तीय संस्थाओं के अध्ययन से पता चलता है कि जैसे–जैसे कर्ज का आकार बढ़ता है, लागत व्यय अनुपात (ओईआर) में कमी आने की प्रवृत्ति बिलकुल स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तालिका–1 और साथ में दिए गए आंकडों 11 स्पष्ट होता है कि छोटे आकार के ऋणों के वितरण (70 डॉलर से कम) का लागत व्यय अनुपात (आईआर) 25 प्रतिशत तक पहुंच जाता है जबकि बड़े ऋणों के मामले में 18 अनुपात घटकर 15 प्रतिशत तक ही रह जाता है। और बड़ी श्रेणियों में, 240 डॉलर से अधिक के वर्ग में, यह अनुपात और भी

गिरकर 12 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। ऋणों के आकार और लागत व्यय के बारे में एमएफआई की आयु के साथ एक परस्पर संबंध होता है। नये–नये एमएफआईज छोटे–छोटे कर्ज देना पसंद करते हैं। परंतु तेजी विकास कर रही संस्थाओं के साथ तो और भी सुदृढ़ संबंध होता है, क्योंकि दोनों लागत व्यय उस समय अधिक आता है जब वे विकास के चरण में होते हैं और नये रकों की अधिक संख्या के कारण उनके ऋणों का आकार भी छोटा होता जाता है। जैसे–जैसे एमएफआईज स्थापित (पुराने) होते जाते हैं, उनकी ओईआर कम होती जाती है, क्योंकि विकास की लागत (कर्मचारियों का प्रशिक्षण, नयी शाखाओं का विस्तार नये नये क्षेत्रों में पहुंचना आदि) भी सीमित होती जाती है जबकि उनके ऋणों का औसत आकार बढ़ता जाता है। अनेक ग्राहकों के चार–चार, पांच–पांच बार ऋण लेने से ग्राहकों की संख्या और ऋण राशि (संभवतः 50–60 प्रतिशत) में वृद्धि होने लगती है। इसके विपरीत, बड़े आकार का ऋण देने वाले एमएफआईज अपने इसी आधार के कारण ही अपनी लागत में कमी कर लेते हैं। इसी प्रकार छोटे–छोटे कर्ज देने वाले वाणिज्यिक बैंक (एमएफआईज की तुलना में करीब चार गुना अधिक आकार के ऋण) की वित्तीय सेवाएं निश्चित रुप से एमएफआईज की तुलना में काफी सस्ती होती हैं और इस प्रकार वे एक अलग तरह की परिसंपत्ति श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं इस प्रकार ब्याज दरों पर प्रतिबांध लगाने से ऋण मुहैया कराने वाली सेवा में वृद्धि होने की बजाय, उनमें ठहराव आ जाता है, जो कि इस तरह के प्रतिबंध के पैरोपकारों के घोषित उद्देश्यों के विपरीत ही है। इन सबके बावजूद, उपर्युक्त वर्णित संस्थाओं की विविधता ग्रामीण ऋण परिदृश्य में सहजता और सुलभता की दृष्टि से अच्छी ही है।[5]

तालिका : भारतीय लघुऋण संस्थाओं के ओईआर पर ऋण आकार का प्रभाव

ऋण का आकार (अमरीकी डॉलर में)	< 70	70-120	120-180	180-240	>240
भारतीय रुपये	<3000	3000-5000	5000-7500	7500-10000	>10000
नमूना ओइआर	25.0%	18.7%	14.7%	14.8%	12.0%

इसी के साथ–साथ, यह स्पष्ट है कि चीनी गणतांत्रिक सरकार का 'नया समाजवादी ग्राम समाज' के लक्ष्य और भारत सरकार का आर्थिक कार्यक्रमों में और अधिक लोगों के समावेश के मंतव्य से वित्तीय मध्यस्थता के अवसरों में वृद्धि होगी। सीधे ऋण देने की योजनाओं के माध्यम से हस्तक्षेप की पिछली कोशिशें दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया के सभी देशों में असफल साबित हुई। ऐसा मुख्यतः ब्याजदरों पर प्रतिबंधों के साथ–साथ ऋण लेने वालों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से दी गई सब्सिडी के चलते संसाधनों के अनुचित वितरण के कारण हुआ। प्रतिबंधों के कारण निर्देशित ऋण योजनाएं वित्तीय प्रणाली के लिये जहां अव्यावहारिक सिद्ध हुई, वहीं सब्सिडी ने राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि लक्षित समूह से ये संस्थाएं दूर होती गई और असली कर्जदारों को भारी लागत व्यय वहन करना पड़ा। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में हाल ही में जो प्रयास हुए हैं वे अधिक उत्साहवर्धक हैं। मंगोलिया के खान बैंक और कंबोडिया के एसीएलईडीए बैंक के अनुभव बताते हैं कि बाधक की बजाय सुविधाजनक कानूनी वातावरण में यदि ग्रामीण पित्त प्रणाली लागू की जाए तो न केवल वह लाभप्रद हो सकती है बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक भी हो सकती है।[6]

भारतीय प्रणाली के बेहतर विस्तार के बावजूद भारत (चीन तो उससे भी वास्तविक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाला आवश्यक समरस मिश्रण नहीं पा का है। इसका आंशिक कारण यह है कि दोनों देशों में नीति–निर्माता ग्रामीण वित्त को देश की अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने वाली वित्तीय प्रणाली के अभिन्न अंग के रुप में देखने की बजाय उसे एक आवश्यक बुराई मानते हैं। दोनों देशों में इस तथ्य पर भलीभांति विचार नहीं हुआ है कि यदि आपके यहां 'नीति' वित्तीय संस्थाएं हैं तो यह कोई जरूरी नहीं कि विशिष्ट बाजारगत संस्थाओं पर ब्याज दर का अंकुश लगा कर उन्हें पंगु बना दिया जाए; कि स्वतंत्र वित्तीय सहकारिताएं कम आय वाले परिवारों के लिये जमा (बचत) सेवाएं सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है; कि ग्रामीण वित्तीय कानूनों की प्रभाविकता पारदर्शी कामकाज और अनुभव के बढ़ने के साथ–साथ धीरे–धीरे ही बढ़ती है, और चूंकि निर्धारित वित्तीय सेवा नियामक, वर्तमान में ग्रामीण परिस्थितियों से परिचित नहीं है, सिर्फ इसलिये, उसे आउटसोर्स (बाहर से मंगवाने या करवाने) की कोई जरूरत नहीं है। वित्तीय समावेशन नीतियों के एकसार और संगत मिश्रण से ही आएगा।[7] छिटपुट उपायों से केवल भ्रम ही फैलेगा। हिंदी–चीनी ग्रामीण वित्तीय प्रणाली पर सहानुभूतिपूर्ण और विचारवान कार्रवाई की आवश्यकता है, जो कि अब तक बिल्कुल ही दिखाई नहीं दिया है।

लघुवित्त से संबंधित प्रमुख संगठन :

बैंक रक्यात इंडोनेशिया : बैंक रक्यात इंडोनेशिया इस सोच पर कार्य करता है कि लघुवित्त का प्राथमिक लक्ष्य गरीबों के लिये अलग स्थायी वित्तीय मध्यस्थता वाली संस्थाओं का अधिक से अधिक निर्माण करना है। इस दृष्टि से बैंक रक्यात इंडोनेशिया तथा एक प्रमुख गैरसरकारी स्वैच्छिक संगठन 'बीना स्वदय' ने मिलकर एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया ताकि बैंकों और अंतिम उधार प्राप्तकर्ताओं के लिये लेनदेन की लागत न्यूनतम रखी जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य लघु उद्यमियों के स्वसहायतासमूहों और छोटे किसानों को उचित दर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इस परियोजना के अंतर्गत कोई निश्चित मॉडल निर्धारित करने की बजाय सहभागिता के आधार पर लिंकेज की प्रक्रिया शुरू करने पर बल दिया गया है। इसके दो प्रमुख आयाम है :

(क) स्वसहायता समूहों और बैंकों के बीच संस्थागत संपर्क।
(ख) बचत और ऋण के बीच वित्तीय संपर्क ।[8]

ग्रामीण बैंक : यह नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस की देन है, जिन्होंने 1976 में इसकी स्थापना की थी। 1976 में सरकार के सहयोग से तांगेल जिले में प्रोजेक्ट की जमआत की। बैंक की सफलता अर्जित होती गई और 1983 में यह बांग्लादेश के विधायन द्वारा एक स्वतंत्र बैंक के रुप में रूपांतरित हो गया। आज भी बैंक लगातार पूरे देश में ग्रामीण गरीबों को ऋण देकर अपने दायरे को विस्तृत कर रही है। दिसंबर 2006 तक ग्रामीण बैंक की 2, 319 से अधिक शाखाएं 74, 462 गांवो, जो कि कुल गांवों का 89 प्रतिशत है को कवर कर रही है। इसके 6.91 मिलियन ऋणग्राही हैं जिसमें से 97 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस बैंक ने 2010 तक समस्त गरीब परिवारों को लघुऋण के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। फ्रांसीसी कंपनी डैनोन के साथ मिलकर इसने एक सामाजिक–आर्थिक उद्यम 'ग्रामीण डैनोम फूड्स' की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बैंक ने टैलेनार कंपनी के साथ मिलकर ग्रामीण फोन की शुरूआत की है, जिसके तहत ग्रामीणों को मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

शोर बैंक, अमरीका : विकसित देशों में कुछ समुदाय हैं जो तुलनात्मक तौर पर ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में बहुत पीछे रहते हैं। मिल्टन डेविस ने शिकागो के दक्षिण तट के निवासियों को लघुवित्त और लघुऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिये 1973 में 'शोर बैंक' की स्थापना की। पिछले 30 वर्षों में शोर बैंक ने विशेषकर होम मोरटेज लोन (आवास 'ण) और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देता है। 2000 से 2006 के बीच शोर बैंक ने शिकागो, डेट्रॉयट और क्लेवलैंड के लोगों को 900 मिलियन डॉलर के ऋण प्रदान किए हैं। शोर बैंक ओरगॉन के साथ जुड़कर वाशिंगटन स्टेट और मिशिगन के ऊपरी पानसुला तक विस्तार कर रहा है और इसके कंसल्टिंग कार्यालय शिकागो, वाशिंगटन और लंदन सहित पूरी दुनिया के 30 देशों में स्थापित हो चुके हैं।

संदर्भ स्रोतः

1. रिर्पोट ऑन प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2009–10. भारतीय रिर्जव बैंक, मुम्बई, पृ.– 252.
2. रिर्पोट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2010–11, भारतीय रिर्जव बैंक
3. वार्षिक योजना– 2009–10, बिहार सरकार, पृ०–110. 4.
4. डॉ० हेमलता अंकोदिया, "गरीबों का भविष्य संवारती सामूहिक अल्प बचत समितियाँ, कुरूक्षेत्र, नवम्बर–2009 पृ०–7.
5. वार्षिक प्रतिवेदन–2007–08,बिहार सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, पृ. 41.
6. डॉ. सावित्रि यादव "किसानो की ऋण समस्या के समाधान में किसान क्रेडिट कार्ड का योगदान, कुरूक्षेत्र जुन 2011, पृ.–11.
7. विजय कुमार शर्मा, लघु वित्त से गरीबी निवारण, शांभवी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ–41.
8. चन्द्रभान, किसानों का मददगार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, योजना, अप्रील–2011, पृ.–45.